चुनाव आयोग में सुधार हेतु सुझाव

हुक्मीचंद

विषय राजनीति विज्ञान
राजकीय कन्या महाविद्यालय
जोजावर, मारवाड़.

निर्वाचन से संबंधित त्रुटियों पर सबसे अधिक विचार यदि किसी ने किया है तो वह है निर्वाचन आयोग आयोग प्रारंभ से ही स्वच्छ स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सदैव जागरूक रहने का प्रयास करता रहा है इसके उपरांत भी प्राय कुछ कमियां हर निर्वाचन में उजागर होती रहती है इन कमियों को दूर करने का या तो स्वयं आयोग ने प्रयास किया है या उन्हें दूर करवाने के लिए सरकार को सिफरी से की है वैसे आयोग हर निर्वाचन से पहले निर्वाचन से जुड़े प्रमुख तत्वों के लिए गाइडलाइन किताबें भी निकलता है इतना ही नहीं वह अपनी प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट में कुछ न कुछ सुधार से जुड़े मुद्दे भी स्पष्ट करने का प्रयास करता है आयोग के निर्वाचन सुधार हेतु अनेक सुझाव दिए हैं 1. आयोग ऐसा मानता है कि निर्वाचन व्यय सीधा व्यावहारिक होना चाहिए उसके अनुसार लोकसभा निर्वाचन के लिए इसे वर्तमान सीमा साढे चार लाख से बढ़कर 15 लाख कर देनी चाहिए आयोग का मानना है की राजनीति को धनशक्ति के दुरुपयोग से बिल्कुल मुक्त करने की दृष्टि से निर्वाचन व्यय की व्यवहारिक सीमा तय किया जाना चाहिए 2. आयोग ने राज्यसभा के सदस्यों के चयन प्रक्रिया में प्रत्याशियों एवं उनके समर्थक कई व्यावसायिक गणों द्वारा धन शक्ति के प्रयोग को दुर्भाग्यपूर्ण माना इस स्थिति में निर्वाचन को बचाने के लिए आयोग ने आयकर व राजस्व तथा गुप्तचर विभाग को कड़ी नजर रखने के निर्देश 3. आयोग के अनुसार गंभीरता से निर्वाचन न लड़ने वालों पर रोक लगनी चाहिए आयोग का मानना है कि संसदीय तथा विधानसभा निर्वाचन लड़ने के लिए क्रमशः ₹5000 और ₹2500 की वर्तमान राशि बेटू की है इससे बढ़कर ₹25000 तथा ₹15000 किया जाए तो ऐसे प्रत्याशियों को हाथों उत्साहित करने से कुछ हद तक मदद मिल 4.निर्वाचन आयोग ने वर्तमान प्रधानमंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य को चाहे कोई भी कारण रहे सरकारी खर्च पर निर्वाचन में सरकारी विमान के उपयोग की अनुमति पर पाबंदी लगा दी जाए उन्हें निर्वाचन सुरक्षा स प्लस ही क्यों न प्रदान हो आयोग के अनुसार यदि राजनीतिक नेताओं को विशेष सुरक्षा प्रदान कर रखी है और गुप्तचर अधिकारियों समेत सुरक्षा एजेंसियों ने उपयोग की अनुशंसा की है तो उन्हें सरकारी बुलेट प्रूफ वाहनों के उपयोग की अनुमति रहेगी 5. आयोग ने निर्देश जारी किया है कि मकान मालिक की इजाजत के बगैर दीवारों पर पोस्ट झंडियों बैनर नारे आदि नहीं लिखें या चिपकाए जा सकते हैं इनका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा बनाया जा सकता है 6. यदि किसी उम्मीदवार का शुभचिंतक नियमो से अधिक उसके निर्वाचन अभियान में खर्च करता है तो उसे उम्मीदवार की लिखित इजाजत लेनी होगी आयोग ने उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले व्यय पर नजर रखने हेतु आयकर आबकारी और राजस्व विभाग के आयुक्त स्तर के अवसरों को निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया है 8.अब निर्वाचन आयोग प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरते समय एक 50 पनों का रजिस्टर देता है नामांकन दाखिल करने के बाद से होने वाले हर खर्च उम्मीदवार को हर रजिस्टर तक का खर्च रखना अनिवार्य है नियुक्त खर्च पर्यवेक्षक समय-समय पर इनका आकलन एवं लेखांकन करते रहेंगे निर्वाचन के बाद हिसाब ना देने वालों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 का के तहत आगामी 3 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है 9. आयोग ने कई स्थानों पर भूत लुटेरों को देखते ही गोली मार देने के आदेश भी दिए हैं तथा मतदान के दोनों दौरान शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार से रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियां भी लेकर तैनात की है 10. आयोग का यह भी मानना है कि निर्वाचन

संचालन में होने वाले व्यय को कम करने..... के लिए जहां तक संभव हो लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन साथ-साथ होने चाहिए 11. आयोग के अनुसार निर्वाचन में जाली मतदान को रोकने के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र मतदाताओं को दिए जाने चाहिए किंतु इन पहचान पत्रों को सीमित न रखकर बहुउद्देशीय बनाया जाना चाहिए 12. राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वह इस राज्य का प्रतिनिधित्व करें जहां के वह मूल निवासी हैं इसी आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री गुलाब नबी आजाद का नाम वसीम महाराष्ट्र संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची से हटा दिया गया 13. स्वच्छ स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति करता है जो अपना प्रतिवेदन सीधे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजता है इन विशेष निर्वाचन पर्यवेक्षकों को अधिकार क्षेत्र में जाति धर्म भाषा आदि का निर्वाचन में दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष की जेल की सजा देना भी शामिल है उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है 14. आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में 1889 में संशोधन के बाद प्रथम बार बिहार के विधानसभा निर्वाचन में फरवरी 1995 में बिहार पुलिस को भी अपने नियंत्रण में ले लिया 15. आयोग ने अप्रैल में 1996 के लोकसभा निर्वाचन तथा कुछ राज्यों की विधानसभा निर्वाचन हेतु एक आदर्श आचरण संहिता लागू की जिसका जिसका शक्ति से शक्ति से निर्वाचन के दौरान पालन करवाने की भरसक कोशिश की.

संदर्भ:

1. जौहरी जे.सी. : इण्डियन पोलिटिक्स जालंदर वैशाली 1984
2. कमल के.एल. : पार्टी पोलिटिक्स इन इण्डियन स्टेटस
3. कोठारी रजनी : पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्शनस स्टडी मुम्बई
4. कश्यप सुभास : भारत में निर्वाचन समस्या एवं सुधार दिल्ली
5. पायली एम.बी. : इण्डियाज कोंस्टीट्शन मुम्बई